

C.NO. 144/2010 नवान जना प। शिवराज

18/8/25 पत्राली पेश ही वकील वाग उप वकील
वादी द्वारा आदिनांक तक तलबी नहीं करावा
गई है, पूर्वी तारीख पेश पर वकील वादी
तलबी का अक्षिप्य के अक्षिप्य अलग मिय
शपथ का किन्तु मिय की तलबी अशुद्ध है अतः
वकील वादी का वाद अशुद्ध तलबी के खारिज
किये जाते हैं पत्राली पेशल शुभ होना है
कम है


उपखण्ड अधिकारी
विश्रामगढ़ (अजमेर)

किन्तु एक मात्र दिवस दिनांक
साथ ही एक मात्र दिवस दिनांक
0.9 दिनांक 0.9 दिनांक
दिनांक दिनांक दिनांक दिनांक

178 दिनांक दिनांक दिनांक दिनांक
दिनांक दिनांक दिनांक दिनांक